"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017 — चैत्र 6, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 (चैत्र 6, 1939)

क्रमांक-3979/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) जो सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम कुंभ मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) में,-

(क) प्रस्तावना में, शब्द "कुंभ मेला" के स्थान पर, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) धारा 1 की उप-धारा (1) में, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006" के स्थान पर, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ग) जहां कहीं भी शब्द "कुंभ मेला" आया हो के स्थान पर, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये.

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्र. 2 सन् 2017) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

राजिम कुंभ मेला के आयोजन से छत्तीसगढ़की संस्कृति एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है तथा राजिम कुंभ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.

यह एक वार्षिक आयोजन है. इस विषय को दृष्टिगत रखते हुये, प्रतिष्ठित संतों ने राजिम कुंभ में शब्द "कल्प" जोड़ने की अनुशंसा की है. "कल्प" का अर्थ है पूर्ण या वास्तविक न होने पर भी, बहुत कुछ किसी दूसरे की बराबरी का या समान हो. संतों एवं विशेषज्ञों की अनुशंसा समुचित प्रतीत होती है.

अतएव, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 22 मार्च, 2017

बृजमोहन अग्रवाल
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

अध्यादेश लाने की आवश्यकता

अध्यादेश 2017 में मूल अधिनियम की प्रस्तावना तथा उसके संक्षिप्त नाम का संशोधन प्रस्तावित नहीं था जिसे इस विधेयक में संशोधन के द्वारा समाहित किया गया.

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला संशोधन अध्यादेश (क्रमांक 2/2017) संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित किया गया है. वर्ष 2016 में राजिम कुंभ मेले में संत समागम के अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष से आये संतों द्वारा उक्त कुंभ मेले को राजिम कुंभ (कल्प) मेला किये जाने का सुझाव दिया था. चूंकि राजिम कुंभ मेला माह फरवरी 2017 में आयोजित था एवं तत्समय विधान सभा का सत्र आहुत नहीं था अत: ऐसी स्थिति में उक्त संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जाना आवश्यक था. अध्यादेश की प्रति संलग्न है.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) के शीर्षक, प्रस्तावना, धारा 1 की उप धारा (1) एवं (2) तथा धारा 2 की उप धारा (7) का सुसंगत उद्धरण

1. शीर्षक :- छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006

2. प्रस्तावना :- राजिम कुंभ मेले में उचित प्रबंधन उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम

3. धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ की उप धारा (1) एवं (2)-

   (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006" होगा.

   (2) यह ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा जो समय-समय पर शासन द्वारा राजपत्र में राजिम कुंभ मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये.

4. धारा 2 - परिभाषाएं - उप धारा (7) -

   (7) "मेला" से तात्पर्य है, प्रतिवर्ष होने वाला राजिम कुंभ मेला तथा 12 वर्ष में एक बार होने वाला राजिम का महाकुंभ मेला.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.